सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 कार्तिक, 1947 (श०)

संख्या - 494 राँची, सोमवार, 10 नवंबर, 2025 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

संशोधित संकल्प

30 अक्टूबर, 2025

पत्रांक-02/कृ0गो0-03/2019-2350-- श्री जयप्रकाश तिवारी, तत्कालीन जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, पलामू (डालटनगंज) के विरूद्ध उक्त पद पर रहते हुए कतिपय विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अन्य कार्यों में अनियमितता बरतने संबंधी आरोपों के संदर्भ में विभागीय संकल्प संख्या-1741 दिनांक-19.07.2019 (यथा संकल्प संख्या-1610 दिनांक-24.09.2021 के द्वारा संशोधित) के माध्यम से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के सुसंगत नियमों के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. सम्प्रति, श्री तिवारी के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(b) के तहत् सम्परिवर्तित किया जाता है।

3. प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-(अस्पष्ट)

सरकार के उप सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 494 - 50